

# राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

क्रमांक प. 3(3)रामाआ/2016/संस्था/16422

जयपुर, दिनांक 7-12-16

## : विज्ञप्ति :


राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर में उपलब्ध निम्नांकित रिक्त पदों को पूर्णतया अस्थाई रूप से प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु आवेदन पत्र संबंधित विभाग के माध्यम से आमन्त्रित किये जाते हैं। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति समान पद, योग्यता, पे-बेण्ड, ग्रेड-पे धारित करने वाले कार्यरत कार्मिकों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। प्रतिनियुक्ति पर कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिकों को आयोग द्वारा बिना कारण बताये कभी भी पैतृक विभाग में वापस भेजा जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति नियमित सीधी भर्ती होने, अथवा विभागीय पदोन्नति से अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा आयोग की आवश्यकता तक रखे जा सकेंगे :-

क्र. सं.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	ग्रेड-पे	सेवा का नाम	शैक्षणिक योग्यता
1.	निजी सचिव	4	6600/- या 6000/-	मन्त्रालयिक सेवा	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार
2.	निजी सहायक	5	4200/-	-----do-----	-----do-----
3.	सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-द्वितीय (लेखाकार)	1	4200/-	अधीनस्थ लेखा सेवा	-----do-----
4.	कार्यालय अधीक्षक	1	4200/-	मन्त्रालयिक सेवा	-----do-----
5.	कार्यालय सहायक	1	3600/-	-----do-----	-----do-----
6.	क्लर्क ग्रेड-प्रथम	5	2800/-	-----do-----	-----do-----
7.	क्लर्क ग्रेड-द्वितीय	3	2400/-	-----do-----	-----do-----
8.	वाहन चालक	2	2400/-	एक्स केडर	-----do-----

उक्त रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिये इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सम्पूर्ण विवरण सहित, जिसमें जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, सेवानिवृत्ति तिथि, का उल्लेख हो एवं पूर्व 7 वर्षों तक के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि न हो, कोई विभागीय जांच अथवा किसी भी प्रकार की एफ.आई.आर./आपराधिक मामला दर्ज न हो, अपने विभाग के विभागाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी के मार्फत निर्धारित प्रारूप में दिनांक 05.07.2016 को निर्धारित कार्यालय समय में आयोग में भिजवावें। उच्च शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभवी अभ्यर्थियों को वरियता दी जायेगी। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन का प्रारूप आयोग की वेबसाईट [rshrc.rajasthan.gov.in](http://rshrc.rajasthan.gov.in).  
/कार्मिक विभाग की वेबसाईट [dop.rajasthan.gov.in](http://dop.rajasthan.gov.in). तथा गृह विभाग की वेबसाईट [home.rajasthan.gov.in](http://home.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

आज्ञा से

  
(जे.सी.देसाई) 07/14/2016

सचिव

राज. राज्य मानव अधिकार आयोग,  
जयपुर

